

46

7860

भारत



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ATTESTED



ATTESTED



E-1

हस्ताक्षर

मोहनलालगंज

16.4.12

विक्रय मूल्य -रु0 7,14,000/-
 मालियत -रु0 7,14,000/-
 स्टाम्प -रु0 50,000/-
 परगना - मोहनलालगंज

विक्रय विलेखविक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण:-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम - मस्तेमऊ

रजिस्ट्रार नजदीक

Jag

—2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

4. सम्पत्ति का विवरण-आराजी खसरा सं०-874 व 863 का भिनजुमला
5. मापन की इकाई -हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल-0.3317 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति-(परिशिष्ट के अनुसार)
- सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर।
8. अन्य विवरण (लिक/खड़प्पा/जनपदीय मार्ग इत्यादि)-नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
11. पेड़ों का मूल्यांकन - X
12. बोरिंग/कुआं/अन्य - X
13. निर्माण का वर्ष - X
14. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं

रजि. नं० १३९/

3



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(3)

15. प्रतिफल की धनराशि 7,14,000/- रुपये

चीहददी गाटा संख्या-874

पूरुब	:	भूमि खसरा संख्या-871 व 872
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या-875
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या-873
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या-870

चीहददी गाटा संख्या-863

पूरुब	:	भूमि खसरा संख्या-874
पश्चिम	:	भूमि खसरा संख्या-691
उत्तर	:	भूमि खसरा संख्या-688
दक्षिण	:	भूमि खसरा संख्या-862

संलग्न न-सौ-सि/

जिजा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

प्रथम पक्ष की संख्या (1)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

संजय कनीजिया पुत्र प्यारे लाल कनीजिया निवासी-म०न०-870,
मोहल्ला-कानून गोयान, जिला-बाराबंकी, उ०प्र०।

प्रेता का विवरण

अजय कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी-4/2, टाईप-IV,
पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी, जेल रोड, लखनऊ, उ०प्र०।

मनकि संजय कनीजिया पुत्र प्यारे लाल कनीजिया
निवासी-म०न०-870, मोहल्ला-कानून गोयान, जिला-
बाराबंकी, उ०प्र० (विक्रेता) का है :-

जो कि विक्रेता अपनी भूमिधरी आराजी खसरा
संख्या-874 कुल रकबा-0.31 हेक्टेयर का 1/2 भाग

—5

संजय कनीजिया



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(5)

यानी 0.1705 हेक्टेयर व खसरा संख्या-863, कुल रकबा 0.645 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.1612 हेक्टेयर, कुल दो किता कुल विक्रीत रकबा-0.3317 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, का मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता ने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया है, जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेता को

संजय + ज्योतिषि ५५ —6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(6)

प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज को बजरुत होशो हवास में उपरोक्त को बकीमती मुबलिंग रुपया-7,14,000/- (सात लाख चौदह हजार रुपया मात्र) जिसके आधे रुपया-3,57,000/- (तीन लाख सत्तावन हजार रुपया मात्र) होते हैं, में बदस्त अजय कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी-4/2, टाईप-IV, पी0डब्ल्यू0डी0 कालोनी, जेल रोड, लखनऊ, उ0प्र0, (क्रेता) के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेता ने अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की

—7

संजय कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(7)

तारीख के बाद से विक्रेता या उनके किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रोता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रोता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाए, या अन्

— 8

राज्य कानून/...

...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 8 -

किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भ्रष्ट गति निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रुपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेता को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

संजय स. जे. उपा.

—9



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 9 -

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या द्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है जिसमें वर्तमान समय तक कृषि ही हो रही है और कृषि प्रयोजनार्थ ही विक्रय की जा रही है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

विक्रीत भूमि ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अति

— 10

रंजित + जौहरी Jang



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

विशिष्ट ग्राम में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल- 0.3317 हेक्टेअर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य रूपया 21,50,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है। चूंकि विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग रूपया 7,14,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर है। इसलिए विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/

संलग्न नमूने के साथ

जय

— 11

11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया 50,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है।

लिहाजा यह बैनामा सबरु गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदलुस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने-अपने हस्ताक्षर करके निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

विवरण भूमि विक्रीशुदा

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या-874 कुल रकबा-0.341 हेक्टेयर का 1/2 भाग यानी 0.1705 हेक्टेयर व खसरा संख्या-863, कुल रकबा 0.645 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.1612 हेक्टेयर, कुल दो किता कुल विक्रीत रकबा-0.3317 हेक्टेयर, स्थित राम-मत्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।

तफसील वसूलयाबी जरसमन

कुल विक्रय मूल्य रूपया-7,14,000/- (सात लाख चौदह हजार रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से चेक संख्या-508241 दिनांकित 04.10.2011 अदाता बैंक आफ बड़ीदा, शाखा-हीवेट रोड, लखनऊ से प्राप्त कर लिया है। अब कोई

रजम न. नो. 11/11

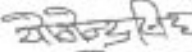
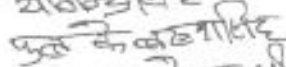
11/11

भी धनराशि विक्रीत आराजी से सम्बन्धित क्रेता से विक्रेता को पाना शेष नहीं रहा।

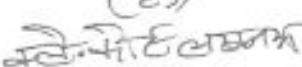
लखनऊ

दिनांक : 04.10.2011

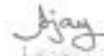
हO विक्रेता

1. गवाह : 
पता : 
17A-95, सेक्टर-सी
आरबीगंज, लखनऊ

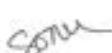
संजय मन्त्रौ डिप।

2. गवाह : 
(हउ)
पता : 
मले-मोर्ट लखनऊ

हO क्रेता



टाइपकर्ता

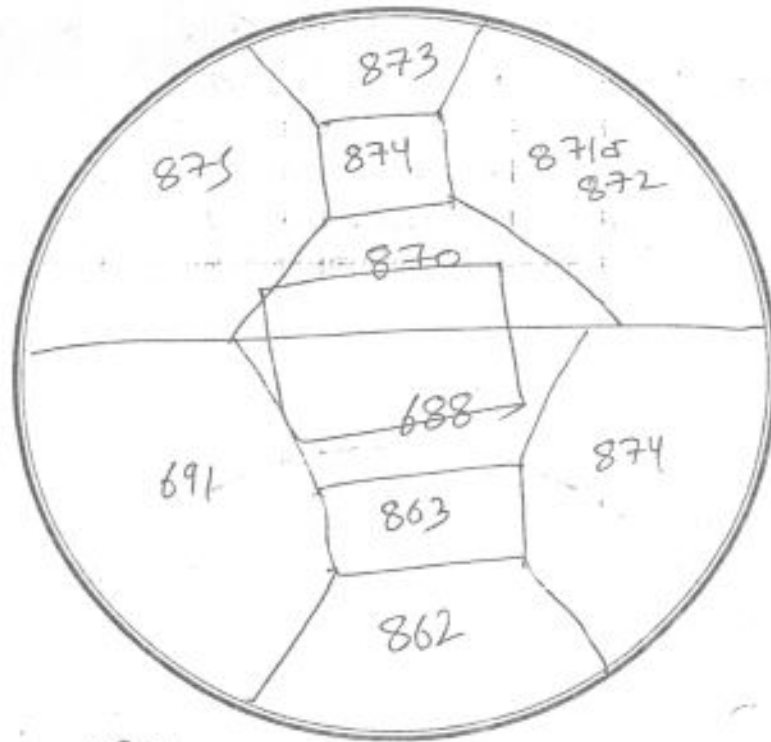

(सोनू बालाजी)
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता


(मुकेश मणि त्रिपाठी)
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

0-200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या-874 कुल रकबा- 0.341 हेक्टेयर का 1/2 भाग यानी 0.1705 हेक्टेयर व खसरा संख्या-863, कुल रकबा 0.645 हेक्टेयर का जुज भाग यानी 0.1612 हेक्टेयर, कुल दो किता कुल विक्रीत रकबा-0.3317 हेक्टेयर, स्थित ग्राम-मस्तूमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।



संज्ञा मंजूर

ह0 विक्रेता

ह0 क्रेता

ह0 क्रेता

**रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के
अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स**

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:-संजय कनौजिया; पुत्र प्यारे लाल
कनौजिया निवासी-मकान-870, मोहल्ला-कानूरा गोवान, जिला-बाराबंकी,
उ०प्र०।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



संजय कनौजिया
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता :-अजय कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी-4/2,
टाईप-IV, पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी, जेल रोड, लखनऊ, उ०प्र०।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



अजय कुमार
क्रेता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार
3/481/11-12
तारीख 16.4.12

आज दिनांक 04/10/2011 को
वही सं 1 जिल्द सं 2743
पृष्ठ सं 311 से 338 पर क्रमांक 7860
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर


अ.र.क. द्विवेदी (प्रभारी)

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

4/10/2011

